P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-4* December- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अलवर राज्य में न्याय प्रशासन के विकास में महाराजा जयसिंह का योगदान (1892 ई. से 1937 ई.)

फूलसिंह सहारिया
व्याख्याता,
इतिहास विभाग,
बाबू शोभाराम राजकीय
कला महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान

हंसराज सोनी
शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान

सारांश

भारत में प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक किसी न किसी रूप में न्याय प्रशासन का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहा है। ब्रिटिश काल से पूर्व मुगलकालीन न्याय व्यवस्था ही शिथिल रूप से प्रचलन में थी। आधुनिक राज–व्यवस्था में न्यायपालिका सरकार का एक ऐसा अंग है जो राजनैतिक शक्ति के अत्यधिक केन्द्रीयकरण को रोक निरकुंश शासन से जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के मजबूत स्तम्भ पर निर्भर करती हैं। न्याय प्रशासन की उपयोगिता तथा श्रेष्ठता द्वारा सरकार और शासन व्यवस्था का आंकलन किया जा सकता है। लार्ड ब्राइस के मतानुसार–''न्याय व्यवस्था की कुशलता से बढ़कर किसी राज–व्यवस्था की श्रेष्ठता को जांचने की अन्य कोई कसौटी नहीं है।''[1] ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पूर्व स्थापित न्यायिक शासन संस्थाओं के स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आया। इस समय लिखित न्याय संहिता का प्रचलन शुरु हुआ। पश्चिमी न्याय प्रणाली के स्वरूप पर दीवानी, फौजदारी और अपीलीय अदालतों की स्थापना की जाने लगी। ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्थाओं में हुए इन परिवर्तनों का प्रभाव अलवर रियासत पर भी पड़ा।[2]

मुख्य शब्द : न्यायिक शासन, पंचायत बोर्ड, राजस्व मुकदमें, अपील, राजस्व शाखा, गृहशाखा, आर्मी शाखा।

प्रस्तावना

भारत वर्ष में बीसवीं सदी का समय नवजागरण की दृष्टि से प्रसिद्ध रहा है। नवजागरण की इस लहर से अलवर रियासत भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। अलवर में नवजागरण का श्रेय महाराजा जयसिंह को दिया जाता है। वे एक योग्य, प्रबुद्ध, प्रगतिशील एवं जनहितैषी शासक थे। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर ब्रिटिश शासन प्रणाली के अनुरूप रियासत की न्याय प्रणाली को विकसित करने का प्रयास किया।[3]

न्याय प्रशासनः पुर्नगठन एवं नवाचार

किसी भी राज्य की न्यायपालिका उसकी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और माँग के अनुरूप विकसित होती है। विभिन्न राज–व्यवस्थाओं में कार्यरत न्यायिक प्रशासन उस राज्य के संविधान की प्रकृति, राजनीतिक सत्ता की संरचना, राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप और न्यायपालिका के संगठन आदि पर निर्भर करती है। अलवर रियासत की स्थापना से लेकर महाराजा जयसिंह के समय तक न्याय प्रशासन में हुए मौलिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आधुनिक रूप में न्याय प्रशासन का विकास हुआ।

रियासत में पूर्व ब्रिटिश काल में राजा मुख्य न्यायाधीश था। वह न्यायिक शक्तियों का केन्द्र बिन्दु था। न्यायिक निर्णय प्रचलित रीति रिवाजों और परम्पराओं के आधार पर किये जाते थे। लिखित न्यायिक संहिता का अभाव था। न्याय व्यवस्था सस्ती और सरल थी, जिसका मूल उद्देश्य समाज में समन्वय स्थापित करना था। ब्रिटिश प्रभाव के पश्चात् इस परम्परागत न्यायिक प्रणाली को पश्चिमी मापदण्डों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया गया।[4] प्रारम्भिक चरण में अलवर राज्य में 1838 ई. में महाराव विनय सिंह के समय सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई। जो अलवर रियासत में न्यायिक प्रणाली में प्रथम प्रगतिशील चरण था।[5]

1875 ई. में न्यायिक पुर्नगठन के अन्तर्गत अपीलीय अदालतें स्थापित की गई। जिसे निचली अदालतों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त था। मुंशी रामदयाल इस न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये गये। इस

न्यायालय के द्वारा दीवानी और फौजदारी मामलों के साथ–साथ नजूल सम्बन्धी अपीलों का भी निस्तारण किया जाता था।[6]

जयसिंह के सिंहासनारोहण के समय (1892 ई.) अल्पव्यस्कता के कारण न्यायिक प्रशासन पॉलिटिकल एजेन्ट के निर्देशन में स्टेट कौंसिल के द्वारा संचालित किया जाता था। इस कौंसिल को उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त थी। इसके ऊपर पर पोलिटिकल एजेंट को पुर्नसमीक्षा का अधिकार प्राप्त था, जो ब्रिटिश कानून के अनुसार निष्पादित होते थे।[7] इस समय राज्य परिषद के अलावा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में जिला एवं सत्र न्यायालय, फौजदार अदालत, दीवानी अदालत और तहसीलदार के न्यायालय प्रचलन में थे।[8]

1894 ई. तक राज्य परिषद की सामूहिक बैठक में सभी प्रकार की अपीलों का निस्तारण किया जाता था। जुलाई 1894 ई. में राज्य परिषद के सदस्यों के मध्य कार्यों का विभाजन किया गया। इस नई व्यवस्था में आपराधिक अपीलें राव गोपाल सिंह एवं दीवानी अपीलें शेख वाजीद अली द्वारा निस्तारित की जाती थी।[9] 1895 ई. तक पुलिस विभाग भी न्याय विभाग का ही अंग था, जिसे प्रशासनिक पुनर्गठन के अन्तर्गत 1 अप्रेल 1895 ई. को न्याय विभाग से पृथक कर दिया गया।[10]

इस प्रकार महाराजा जयसिंह के पूर्ण शासनाधिकार (10 दिसम्बर 1903 ई.) के समय तक अलवर राज्य में नियमित विधि संहिता का प्रचलन नहीं था। अदालतें सामान्यतः ब्रिटिश कानून के सिद्धान्तों के अनुसार संचालित होती थी। न्यायिक विधान के रूप में अनेकों परिपत्र पोलिटिकल एजेन्ट और स्टेट कौंसिल द्वारा जारी किये गये, परन्तु न्याय प्रणाली के विधिवत स्वरूप का विकास नहीं हो सका था।

अध्ययन का उद्देश्य

अलवर रियासत में 1775 ई. से 1948 तक नरूका शासकों ने शासन किया। महाराजा जयसिंह ने 1892 ई. से 1937 ई. तक शासन किया। महाराजा जयसिंह ही ऐसे शासक थे जिनका समय प्रशासन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। इन्होंने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया था, साथ ही 1923–24 ई. में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने अपने समय प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर अनेक एक्ट बनाये। महाराजा जयसिंह के समय बनाये गये एक्ट (नियम) प्रजा के लिए कहां तक उपयोगी रहे। इसी को आधार बनाकर महाराजा जयसिंह के समय कौन–कौन से एक्ट एवं विधान बने जिनका प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ा ? यही इस शोध पत्र तैयार करना हमारा उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

अलवर राज्य पर वैसे बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। हमने राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार शाखा अलवर में उपलब्ध मूल स्त्रोतों का उपयोग किया है। यथा स्थान पर द्वैतियक स्त्रोतों का भी उपयोग किया गया है।

उपलब्ध साहित्य में डॉ. कमल यादव कृत 'देशी रियासतों में राजनैतिक चेतना और जनआन्दोलन (अलवर राज्य के विशेष संदर्भ में), रितु पब्लिकेशन जयपुर 1998 में अलवर की राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख है, विशेषकर महाराजा जयसिंह के बारे में।

डॉ. जगतसिंह मीना द्वारा लिखित रियासत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं जनआन्दोलन (1775 से 1947 ई. तक) है जिसमें विभिन्न शासकों के समय प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक आस्था प्रकाशन जयपुर द्वारा 2016 में प्रकाशित है।

डॉ. फूलसिंह सहारिया द्वारा सम्पादित पुस्तक अलवर का इतिहास जो मेवाती साहित्य अकादमी संस्थान अलवर द्वारा 2016 में प्रकाशित है। इसमें आदिकाल से 1948 तक की राजनैतिक गतिविधियों का उल्लेख है।

राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस के कई वॉल्यूम में अलवर से सम्बन्धित कई शोध लेख प्रकाशित हैं जिनसे अलवर के बारे में कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। हरिशंकर गोयल द्वारा सम्पादित गति (मासिक) पत्रिका अलवर से प्रकाशित कई अंकों से सूचनाएँ प्राप्त होने के साथ अलवर राज्य द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट गजट जिनसे प्रशासनिक जानकारियां मिलती हैं। हमने अभिलेखागार से प्राप्त मूल दस्तावेजों का उपयोग इस शोध पत्र में किया है जिसके आधार पर अनेक कानून जिनका उल्लेख प्रकाशित पुस्तकों में नहीं हैं। अतः महाराजा जयसिंह के काल में किस समय कौनसा कानून बनया गया और उसका प्रजा पर क्या प्रभाव या परिणाम निकला की तथ्यपरक विवेचना की गई है।

प्रशासनिक पुर्नगठन और न्यायिक स्वरूप

महाराजा जयसिंह ने पूर्ण अधिकार गृहण करने के पश्चात् 1906 ई. में प्रशासनिक पुनर्गठन के अन्तर्गत 'महकमा अलया हुजूरी' के अधीन न्यायिक शाखा का गठन किया गया। जिसका क्षेत्राधिकार दिवानी और फौजदारी न्यायालयों, पुलिस, जेल, जागीर एवं शिक्षा विभाग पर था।[11] 1907–08 में प्रशासनिक व्यवस्थापन में न्यायिक शाखा को प्रभारी मंत्रियों के नियंत्रण में रखा गया।[12] इसी वर्ष सितम्बर 1908 ई. में न्यायिक कार्य की भाषा को उर्दू से हिन्दी में परिवर्तित कर दिया गया, जो तत्कालीन समय में शासन प्रबंध की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण कदम था।[13]

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-4* December- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

न्यायिक शाखा की स्थापना के पश्चात् इसकी कार्यप्रणाली एवं संचालन के लिए राज शासन द्वारा 1 दिसम्बर 1908 को न्यायिक नियमों को जारी किया गया। इस नियमों में 15 सितम्बर 1909 ई. में पुनः संशोधन किया गया और इस संशोधन के पश्चात् सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का पदानुक्रम इस प्रकार स्थापित किया गया[14]–	**न्याय मंत्री का न्यायालय** दिवानी न्यायालय → अपीलीय न्यायालय → मुंसिफ न्यायालय फौजदारी न्यायालय →अपीलीय न्यायालय →जिला न्यायाधीश का न्यायालय→ मुंसिफ न्यायालय→अवैतनिक न्यायाधीश का न्यायालय

पंचायत बोर्डों की स्थापना और न्याय प्रणाली

महाराजा जयसिंह ने प्रजाजन को ग्रामीण स्तर पर ही सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 8 मई 1930 ई. को अलवर राज्य पंचायत बोर्ड अधिनियम पारित किया। पंचायतों को दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व संबंधी मामलों पर सुनवाई का अधिकार था। इन्हें 50 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार था। साथ ही वह शिकायतकर्ता को 20 रुपये तक की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दे सकती थी।[15]

पंचायत बोर्डों ने न्यायिक विवादों के निस्तारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1920–21 में पंजीकृत 6914 दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व मुकदमों में से 4625 का निस्तारण किया गया।[16] 1927–28 में कुल पंजीकृत 8472 मुकदमों में 7774 का निस्तारण (लगभग 92 प्रतिशत) किया गया।[17] रियासत में 1920 ई. में कुल 50 बोर्डों की स्थापना की गई थी जो धीरे–धीरे 1928 ई. के अन्त तक 441 तक पहुँच गई। हाकिम पंचायत बोर्ड द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेजे पत्र क्रमांक 416जे 30.09.1929 के अनुसार राज्य के कुल 1761 गावों में से 205 गाँवों को पंचायतों के लिए अनुपयुक्तता मानते हुए शेष 1556 गाँवों में पंचायत बोर्डों की स्थापना की जा चुकी थी जो एक अद्वितीय सफलता थी।[18]

पंचायत बोर्डों की स्थापना द्वारा ग्राम स्वायत्त संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया, जिससे रियासत की जनता में राजनैतिक चेतना का विकास हुआ। महाराजा जयसिंह की इच्छा थी कि रियासत के प्रत्येक गाँव में पंचायत हो जिससे ग्रामीण जनता आत्मनिर्भर रहे एवं उनमें प्रशासनिक जागृति आए। पंचायतों को दिवानी व फौजदारी के अधिकारों की दृष्टि से जयसिंह के प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी विचार प्राचीनकाल की स्थानीय संस्थाओं से भी ज्यादा प्रगतिशील थे।[19]

1921–22 ई. में न्यायिक प्रशासन द्वारा मिलाप समितियों की स्थापना की गई। जिसमें विधि विशेषज्ञों के अलावा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी इसका सदस्य बनाया गया। इन संस्थाओं ने प्रभावशाली ढंग से विवादों का निस्तारण किया।[20]

1922–23 ई. में राजधानी के न्यायालयों में कार्यभार की अभिवृद्धि के कारण सभी तहसीलों में प्रथम श्रेणी न्यायालयों की स्थापना की गई। इससे विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाने लगा और लम्बित मुकदमों की संख्या में भी कमी आई। अब सभी कानूनी विवाद भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार निपटाये जाने लगे।[21]

स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना

महाराजा जयसिंह ने 1923–24 ई. में न्याय प्रशासन में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्याय पालिका को कार्यपालिका से पृथक कर न्याय व्यवस्था को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया। इसी वर्ष फौजदारी और दीवानी सम्बन्धी कार्य न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिए गये।[22] निजामतों में तहसीलदारों के द्वारा प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ न्यायिक कार्यों को भी सम्पादित किया जाता था। महाराजा ने प्रत्येक निजामत में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की।[23]

1927–28 ई. में सर लियोनल टॉमकिन, रिटायर्ड पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब सरकार की न्यायिक सुधारों के सन्दर्भ में उनकी सेवाएँ ली गई। उनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों के आधार पर 24 मई 1928 ई. को प्रशासनिक पुर्नगठन के तहत न्यायिक शाखा के अधीन विभाग यथा–पुलिस, जागीर, पुण्य एवं माफी विभाग को राजस्व शाखा के अधीन कर दिया। इस प्रकार 1928 ई. तक जयसिंह ने प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर न्याय पालिका को कार्यपालिका से पूर्ण रूप से पृथक कर दिया।[24] जो जयसिंह की प्रशासनिक दूरदर्शिता को दर्शाता है।

उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) की स्थापना

महाराजा जयसिंह ने न्याय विभाग की स्वतंत्र इकाई की स्थापना के साथ ही सर लियोनल टॉमकिन द्वारा दिए गए सुझावों के तहत 28 जून 1928 ई. को अपने जन्मदिवस के अवसर पर राज्य उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) की स्थापना की घोषणा की।[25] उच्च न्यायालय को न्यायिक पुर्नरावलोकन और अपीलीय मामलों में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। 17 जनवरी 1929 ई. को पं. रामभद्र ओझा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए।[26]

उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात् न्यायिक शाखा को समाप्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश को न्याय प्रशासन का अध्यक्ष बनाया गया। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण का पूर्ण अधिकार था। जिनकी शक्तियाँ और अधिकार पूर्ववत थे।[27]

लीगल प्रेक्टीशनर्स एक्ट, 1929

राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना के साथ ही विधि व्यवसाय को नियमबद्ध करने के लिए अस्थाई रूप से 1 वर्ष के लिए 'लीगल प्रेक्टीशनर्स एक्ट' बनाया गया जो 15 सितम्बर 1929 ई. से प्रभावी रूप से लागू हुआ।[28] इस अधिनियम में न्यायालयों में प्रेक्टिस करने के लिए दो श्रणियाँ वकील एवं मुख्तार बनाई गई। वकील के रूप में पंजीकरण करने के लिए राज्य का स्थाई निवासी, विधि

स्नातक होने के साथ उसे 10 वर्ष की वकालत का अनुभव एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था।[29]

मुख्तार के रूप में पंजीयन के लिए राज्य का स्थायी निवासी, मेट्रिकूलेशन या अन्य समान परीक्षा उत्तीर्ण हो और स्थानीय मुख्तार परीक्षा या किसी भारतीय हाई कोर्ट की मुख्तार परीक्षा पास की हो एवं हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक था। मुख्तार को हाई कोर्ट तथा मंत्रियों की अदालतों को छोड़कर समस्त न्यायालयों में प्रेक्टिस करने का अधिकार था।

अलवर गजट, 15 जनवरी 1930 ई. के अनुसार 'लीगल प्रेक्टीशनर्स एक्ट' के अन्तर्गत सर्वप्रथम 13 वकीलों का पंजीयन किया गया। जानकी प्रसाद एवं मुक्ता प्रसाद इस एक्ट के तहत पंजीकृत होने वाले प्रथम एडवोकेट थे।[30] एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने अपने साक्षात्कार में बताया कि ललिता प्रसाद माथुर, अलवर के प्रथम निवासी थे जिनका पंजीयन इस एक्ट के तहत किया गया। राज्य द्वारा हाथी पर सवारी निकालकर उन्हें सम्मानित किया गया।[31]

1930 ई. में संशोधित न्यायपालिका नियम एवं न्यायिक स्वरूप

राज्य शासन द्वारा 5 फरवरी 1930 ई. को जारी आज्ञा पत्र और गजट द्वारा न्यायिक नियमों में संशोधन स्वीकार किया गया। इस संशोधन के उपरांत सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार स्थापित किया गया[32]–

उच्च न्यायालय
↓
जिला और सैशन न्यायाधीश का न्यायालय
↓
मुंसिफ न्यायालय
↓
नगर मुंसिफ न्यायालय
↓
पंचायत बोर्ड न्यायालय

उच्च न्यायालय

उपरोक्त न्यायिक ढाँचे में उच्च न्यायालय, अपील की अन्तिम अदालत एवं समस्त न्यायिक अभियोगों पर निगरानी के रूप में रखी गई। राज्य के समस्त न्यायालय इसके अधीन थे। मुख्य न्यायाधीश को समस्त न्यायालयों का निरीक्षण करने एवं उन मामलों में जिनके सन्दर्भ में कानून में कोई उल्लेख नहीं था, न्याय के लिए ऐसे आदेश व परिपत्र निकालने का अधिकार था।

जिला एवं सत्र न्यायालय

यह राज्य का मुख्य दीवानी न्यायालय था। मूल दीवानी अभियोगों में इसके अधिकार अपरिमित थे। वह जिला न्यायाधीश के रूप में मुसिफ अदालतों की आज्ञाप्तियों पर अपीलों की सुनवाई एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार था। उसे आपराधिक मामलों में मृत्युदण्ड देने का आदेश देने से पूर्व उच्च न्यायालय और राजेन्द्र शासन की अनुमति लेना आवश्क था।

मुंसिफ न्यायालय

इस न्यायालय को दिवानी मामलों में 3000/– रुपये तक के मुकदमों पर और अपील मामलों में शहर मुंसिफ और पंचायत बोर्डो द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार था। आपराधिक मामलों में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त थी।

नगर मुंसिफ न्यायालय

नगर मुंसिफ न्यायाधीश रियासत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता में दी गई शक्तियों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीशों के अधिकार का प्रयोग करता है।

पंचायत बोर्ड न्यायालय

पंचायत बोर्ड, 1920 ई. के एक्ट के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करते थे। इसके आदेशों के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई सम्बन्धित मुंसिफ न्यायाधीशों द्वारा की जाती थी।

इस प्रकार 1930 ई. के संशोधित न्यायिक नियमों के द्वारा उच्च न्यायालय से लेकर पंचायत बोर्ड न्यायालय तक, उनके अधिकार क्षेत्र, उनकी कार्यपणाली को स्पष्ट किया गया।

राजस्व संबंधी मुकदमे–राजा के यहाँ 128 शब्द की अपील का प्रावधान

राजस्व संबंधी मुकदमों की अन्तिम अपील महाराजा के समक्ष 128 शब्दों में किये जाने का प्रावधान था। राजस्व मुकदमे प्रायः नाजिम (तहसीलदारी व मजिस्ट्रेट अधिकार) सुने जाते थे, उनमें से 5 प्रतिशत से ज्यादा अपील कलक्टर, अलवर एवं राजगढ़ के यहाँ होती थी।[33]

अलवर रियासत में न्याय प्रशासन के निरन्तर विकास, उसकी सफलता एवं प्रशासनिक कार्यकुशलता के पीछे महाराजा जयसिंह द्वारा किये गये प्रयत्न सराहनीय थे। उन्होंने प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की और उसे अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाया। जयसिंह ने प्रजा की उन्नति को ध्यान में रखकर राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समय–समय पर राज्य की आवश्यकतानुसार कानून बनाये। रियासत में 1903 ई. में केवल 5 कानून बने हुए थे, वहीं 1928–29 ई. में 100 से अधिक कानून प्रचलन में थे।[34]

ग्रामीण प्रशासन के क्षेत्र में परम्परागत ग्रामीण न्याय प्रणाली को पंचायत अधिनियम के द्वारा वैधानिक आधार प्रदान कर ग्राम स्वायत्त संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया। जिसके फलस्वरूप रियासत की जनता में अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक चेतना एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण एवं राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख ने ब्रिटिश सरकार को उनका विरोधी बना दिया। इसलिये 1932–33 में मेव आन्दोलन को आधार बनाकर उन्हें निर्वासित कर दिया। उनके निर्वासन के समय ब्रिटिश सरकार ने न्यायकारी और जनहित की दृष्टि से उपयोगी पंचायती संस्थाओं को अपने निहित स्वार्थ एवं राष्ट्रीय चेतना के दमन की दृष्टि से समाप्त कर दिया।

महाराजा जयसिंह के समय में प्रचलित कानूनों का विवरण 1928 ई.[35]

List of Rules and Regulations existing in the State

1. Mahakma Alia Huzueri - 1909
2. Civil Services Regulations (Revised) - 1924
3. Revised Rules regarding Entertainment of Arzis - 1923
4. Rules relating to Remuneration that may be given to the Lent Officers in the State
5. Rules relating to Auction Committee - 1922
6. Rules relating to absconding officials
7. Arms Act - 1913
8. Rules for the Publication of the State Gazette

Revenue Branch

9. Revised Jeyandra Bank Rules - 1924
10. Revised Stamp Act - 1925
11. Rules for Maintenance of Stock Register - 1917
12. Rules of Amanat Mayadi
13. Motor Service Rules - 1921
14. Criminal Breach of Contract Act - 1920
15. Municipal Act - 1903
16. Bye Laws regarding Control of Dogs - 1917
17. Rules regarding the sale of Cigarette, Cigars and Biris in Municipal Towns - 1922
18. The Alwar State Treasure Trove Act - 1922
19. Revised Revenue Code - 1925
20. Alienation of Land - Para 66
21. Hidayat Paimaish
22. Hidayatnama Settlement Operation - 1920
23. Panchayat Act - 1920
24. Excise Opium and Drugs Law - 1923
25. Nazul Property Rules - 1924
26. Cart Traffic Rules - 1925
27. Rules of Prevention of Infectious Diseases - 1919
28. Alwar State Quarrying Regulation 1914
29. Rules for the use of Public Roads, Public Streets or thorough fares
30. Rules relating to the Mayo College Students returning to College in time after the Holidays - 1918
31. Rules for controlling Private Educational Institutions - 1925
32. Rules regarding release of prisones on ordinary ceremonial occasions
33. The Alwar State Jail Manual
34. Prevention of Seditious Meetings and Publication Act - 1921 (amended 1925)
35. Chowkidara Rules
36. Brief Rules for guidance of Police and Criminal Courts
37. Police Regulations
38. Section 34 of the Police Act - 1925
39. Octroi Rules

High Court

40. Revised Judicial Rules - 1925
41. The Juvenile Smoking Regulation - 1917
42. The State Carriage Regulation
43. Regulation for the prevention of cruetly to animals - 1917
44. Office Secret Act - 1919
45. Dastur-ul Amal Regulation
46. Rules relating to Mukhtars
47. Rules regarding the examination of Petition Writers
48. Act controlling expenditure of marriage and funeral ceremonies - 1920
49. The Amended Code of Civil Procedure, Alwar State
50. The Amended Code of Criminal Procedure, Alwar State
51. The Amended Evidence Act, Alwar State
52. The Amended Contract Act, Alwar State
53. Alwar State Conversion Act
54. Motor Vehicle Act
55. Rules regarding Prevention of adulteration of Food stuffs Act - 1928
56. Hidayat for guidance in Bribery cases - 1922
57. Procedure to be adopted in Bribery cases - 1921

Home Branch

58. Rules for the working of the Garage Department
59. Qawaid Adai Nazar Jagirdaran and Tazimi Sardars
60. Rules regarding alienation of gardens or other arable lands Lawazma Rules - 1921
61. Rules for presentation of Nimantran and grant of Parwarish in the State - 1919
62. Rules regarding presentation of Nazars in the districts by the Nambardars and Zamindars - 1919
63. Rules for the admission of conveyance and men to the City Palace
64. Rules for the presentation of Bhet by the Tazimi Sardarsin the Raj Sabha
65. Toll Rules, - 1918
66. Hidayat in connection with camel grazing
67. Forest Regulation - 1921
68. Forest Grazing Rules - 1921
69. Forest Demarcation - 1921
70. Rules for Forest Circles including Special rules for Seriska

Army Branch

71. Rules for Bardaran
72. Standing Order, Alwar State Forces, 1899
73. Game Laws, Alwar State - 1926
74. The Alwar Arms Regulations
75. Rules for the safe custody of Arms in State Forces
76. Rules regarding grant of pardons to Military Offenders on auspicious occasion.
77. Rules Regarding enhanced powers to Commanding Officers and Senapati
78. Hidayat regarding Court of Wards - 1907
79. Rules regarding Loans to Jagirdars
80. Jagir rules - 1926
81. Punny Rules - 1924
82. Mafi Rules - 1922
83. Revised rules for the management of temples enjoying Mafi and cash grants - 1924
84. Byelaws under Rajputana Hitkarni Sabha
85. Rules of business for a Conference-1922
86. Criminal Tribes Act-1923 (Amended 1925)

निष्कर्ष

सारांशतः अलवर रियासत में महाराजा जयसिंह का शासनकाल न्याय प्रशासन की दृष्टि से अविस्मरणीय समय था। उन्होंने प्रशासनिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर स्वतंत्र न्यायपालिका का सृजन, उच्च न्यायालय की स्थापना, पंचायत अधिनियम द्वारा स्वायत्त संस्थाओं का

सशक्तिकरण एवं व्यापक नियमों व विनियमों द्वारा न्यायिक संस्थाओं के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन का प्रयास किया। इस प्रकार महाराजा जयसिंह ने परम्परागत न्याय प्रणाली और ब्रिटिश न्याय प्रणाली का समन्वय कर रियासत की न्याय व्यवस्था को आधुनिक रूप में विकसित करने का प्रयास किया। उनकी जनकल्याणकारी प्रशासनिक नीतियों एवं उदारवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप रियासत में प्रशासनिक जागृति एवं राजनैतिक चेतना का प्रसार हुआ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *शर्मा, प्रो. अशोक–भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आरबीएसए पब्लिशर्स, जयपुर 2016, पृ. 80–81*
2. *विपिन चन्द्र–आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियन्ट ब्लैकस्वान प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014 पृ. 99–102*
3. *यादव, डॉ. कमल–देशी रियासतों में राजनैतिक चेतना और जन आन्दोलन (अलवर राज्य के विशेष सन्दर्भ में), रितु पब्लिकेशन, जयपुर, 1998 पृ. 25*
4. *राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस, वाल्यूम 27, जनवरी 2012, पृ. 301, 302*
5. *(1) पाउलेट, पी.डब्ल्यू, गजेटियर ऑफ उलवर, लंदन, 1878, पृ. 22*
   (2) इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, प्रोविशनल सीरिज, राजपूताना पृ. 208
6. *मीणा, डॉ. जगतसिंह–रियासतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं जन आन्दोलन (1775–1947 ई.), आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2016, पृ. 107*
7. *मायाराम–राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, अलवर, भारती प्रिंटिग प्रेस, जयपुर, 1968, पृ. 408*
8. *इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, प्रोविनशिअल सीरिज, राजपूताना, पृ. 435*
9. *उलवर–प्रशासनिक रिपोर्ट, 1894 ई., पृ. 5*
10. *उलवर–प्रशासनिक रिपोर्ट, 1895 ई., पृ. 36*
11. *अलवर–प्रशासनिक रिपोर्ट, 1905–06 ई., पृ. 15*
12. *मायाराम–राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, अलवर, भारती प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर, 1968, पृ. 410*
13. *(1) फाईल नं. 460, पृ. 1–6, 30–32, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर*
    (2) फा.नं. ए(29) 1937, पृ. 7, जयसिंह की सिल्वर जुबली पर लिखी गई पुस्तक, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
14. *फाईल नं. 11, बस्ता नं. 312, पृ. 1–5 रा.रा. अभिलेखागार, अलवर*
15. *(1) अलवर राजकीय गजट, नं. 11, शनिवार, 15 मई, 1920, खण्ड 12, रा.रा.अभि.बीकानेर*
    (2) फाईल नं. 598 एफ, 1927, बस्ता नं. 329 'दि अलवर स्टेट पंचायत एक्ट, 1920, पृ. 1–4, रा.रा. अभि. अलवर
16. *अलवर–प्रशासनिक रिपोर्ट, 1920–21, पृ. 23*
17. *अलवर–प्रशासनिक रिपोर्ट, 1928–29, पृ. 65*
18. *फाईल नं. 598एफ, 1927, पृ. 17, 64–65, 73 रा.रा. अभिलेखागार, अलवर*
19. *यादव, डॉ. कमल–देशी रियासतों में राजनैतिक चेतना और जन आन्दोलन (अलवर राज्य के विशेष सन्दर्भ में), रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1928, पृ. 32*
20. *अलवर–प्रशासनिक रिपोर्ट, 1921–22, पृ. 35–36*
21. *मीणा, डॉ. जगतसिंह, रियासतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं जन आन्दोलन (1775–1947 ई.) आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2016, पृ. 115*
22. *(1) मायाराम, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, अलवर, भारती प्रिंटिग प्रेस, जयपुर, 1968, पृ. 412*
    (2) बोम्बे क्रानिकल, 17 जनवरी 1929, पृ. 6–8, फा. नं.सी. 4–ए3, टव्स–1 न्यूज पेपर कटिंग, रा.रा. अभिलेखागार, बीकानेर
23. *अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट 1928–29, पृ. 13*
24. *अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट 1927–28, पृ. 38–39*
25. *(1) गौर, डी.डी., कॉन्सीट्यूसनल डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न राजपूताना स्टेट, उषा पब्लिशर्स, जोधपुर, 1978, पृ. 69*
    (2) फाईल नं. 441जे, पृ. 53–54 रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
26. *अलवर राजकीय गजट, नं. 22, असाधारण अंक, सोमवार, 29 अप्रेल 1929, खण्ड 21, रा.रा. अभिलेखागार, बीकानेर*
27. *मायाराम, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, अलवर,भारती प्रिंटिग प्रेस,जयपुर, 1968, पृ. 412*
28. *(1) बस्ता नं. 312, क्रमांक 58, लीगल प्रेक्टीशनर्स एक्ट, अलवर राज्य 1929, पृ. 1–4 रा.रा. अभिलेखागार, अलवर*
    (2) अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1930–31, पृ. 32, 63
29. *बस्ता नं. 312, क्रमांक 58, पृ. 1–4, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर*
30. *अलवर राजकीय गजट, नं. 3, बुधवार, 15 जनवरी 1930, खण्ड 22, रा.रा.अभि. बीकानेर*
31. *एडवोकेट हरिशंकर गोयल, साक्षात्कार दिनांक 31.10. 2016*
32. *(1) फाइल नं. 132 बस्ता नं. 312, यूडिशियल रूल्स ऑफ दि अलवर स्टेट, 1930, पृ. 1–5, रा.रा. अभि. अलवर*
    (2) अलवर स्टेट गजट, नं. 10, बुधवार, 5 फरवरी 1930, खण्ड 22, रा.रा. अभिलेखागार बीकानेर
33. *सृजन, अलवर अंक 2005–06 पृ. 78*
34. *(1) फा.नं. ए (29) 1937, पृ. 4 जयसिंह की सिल्वर जुबली पर लिखी गई पुस्तक रा.रा. अभि. अलवर*
    (2) गिलैम्पस ऑफ दि अलवरेन्द्र सिल्वर जुबली, 1928, स्टेट प्रेस, अलवर, पृ. 1–5
35. *डाइरेक्टरी ऑफ दि अलवर स्टेट, 31 दिसम्बर 1928, स्टेट प्रेस, अलवर, पृ. 42–45*